Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोपियों नसीम व जितेन्द्र उर्फ राणा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्तों नसीम पुत्र वशीर निवासी ओतो थाना 32 दिबियापुर जनपद औरैया व जितेन्द्र उर्फ राणा पुत्र झरगदलाल निवासी इन्द्रानगर नई बस्ती कस्बा व थाना दिबियापुर जनपद औरैया द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर तमंचे से फायर कर हमला करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 217/2013 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 219/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 220/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 28.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-4 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों नसीम व जितेन्द्र उर्फ राणा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 04 वर्ष के कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री अशोक सैनी एडीजीसी जनपद बागपत

आरक्षी प्रशान्त कोर्ट पैरोकार थाना सिंघावली अहीर

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत   दिनाँक 28.03.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-अजय पुत्र रमेश निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत हाल पता शोभापुर, जनपद मेरठ।

2-हुक्मचन्द पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम हबीबपुर नंगला थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-उपेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना बालैनी पुलिस टीम।

2-थाना बिनौली पुलिस टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर **दिनाँक 28.3.2025**

थाना चांदीनगर पर लावारिस में दाखिल कुल 14 वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही

दिनाँक 28.03.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना चांदीनगर पर वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक के लावारिस वाहनो की नीलामी नायब तहसीलदार खेकड़ा, थानाध्यक्ष चांदीनगर की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदो के कुल 30 कबाडियों ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल 14 चार पहिया व दो पहिया वाहनों की नीलामी की गई।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 28.03.25

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 26/25 धारा 333/115(2)/352/109 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.01.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.योगेश उर्फ छोटू पुत्र जयपाल सिंह, 2.रजनीश उर्फ बिटटू, व एक महिला स्व0 सत्यपाल निवासीगण ग्राम पट्टी मोल्हू गाँव बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया व उसकी सास के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर अभियुक्त योगेश उर्फ छोटू द्वारा वादिया के ऊपर जान से मरने की नियत से हाथ में लिये भाले से वार किया है, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 26/25 धारा 333/115(2)/352/109 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 26/25 धारा 333/115(2)/352/109 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः

1-योगेश उर्फ छोटू पुत्र श्री जयपाल निवासी ग्राम बावली पट्टी मोल्हू थाना बड़ौत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 28.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 39/25 धारा 318(4)/316(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.02.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री राजवीर सिंह सहायक विकास खण्ड अधिकारी ISB विकास खण्ड बडौत, जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि सहारा सी0एल0एफ0 किशनपुर बराल की 03 महिला अभियुक्ता द्वारा फर्जी चैक जारी कर कलस्टर एवं अन्य व्यक्तियों के खाते से 2413000 रूपये का गबन कर लिया है । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 39/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 316(2) बीएनएस को धारा 316(5) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 39/25 धारा 318(4)/316(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

2-का0 676 अखिल धारीवाल थाना रमाला जनपद बागपत

3-म0 पीआरडी रीमा थाना रमाला जनपद बागपत